भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1508

(09 **दिसम्बर**, 2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए)**

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का लंबित भुगतान

1508. **श्री अभिषेक बनर्जी:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अप्रैल से अक्तूबर 2025 तक मजदूरी के लंबित भुगतान का राज्य-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में मजदूरी को खाते में डालने में लगने वाला औसत समय कितना है;

(ग) सितंबर 2025 तक सामग्री-घटक संबंधी बकाया राशि कितनी है; और

(घ) क्या मजदूरी में विलंब के समयबद्ध तरीके से दिखाने के लिए कोई सार्वजनिक डैशबोर्ड स्थापित किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(**श्री कमलेश पासवान**)

(क), (ख) और (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मज़दूरी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा मज़दूरी भुगतान की स्वीकृतियाँ प्रतिदिन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जारी की जाती हैं जो विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फंड ट्रांसफ़र आदेशों पर आधारित होती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में , पूर्व वर्षों की स्वीकृत लंबित देनदारियाँ, यदि कोई हों, का भारत सरकार द्वारा समुचित निपटान किया जाता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की सभी देय एवं स्वीकार्य लंबित मज़दूरी देनदारियाँ (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर) पूरी तरह निपटाई जा चुकी हैं।

सामग्री तथा प्रशासनिक मदों के संबंध में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार को निधि जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा निधियों को आवधिक रूप से दो भागों में जारी किया जाता है जिनमें से प्रत्येक भाग में एक या अधिक किस्तें सम्मिलित हो सकती हैं। निधि जारी करते समय "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक जमा राशि, निधियों के उपयोग की गति , लंबित देनदारियाँ, समग्र निष्पादन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखा जाता है।

योजना के अंतर्गत, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 03.12.2025 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹69,972.95 करोड़ की राशि जारी की गई है , जिसमें ₹58,990.15 करोड़ मज़दूरी मद हेतु तथा ₹10,982.80 करोड़ सामग्री एवं प्रशासकीय मद हेतु सम्मिलित हैं। चूँकि मज़दूरी भुगतान की स्वीकृतियाँ मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती हैं , जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विधिवत प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर (एफटीओ) पर आधारित होती हैं , अतः निधि जारी किए जाने की स्थिति प्रतिदिन अद्यतन होती रहती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में (05.12.2025 तक), महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मस्टर रोल के समापन के 15 दिनों के भीतर 97.96% फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर (एफटीओ) सृजित किए गए हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मज़दूरी एवं सामग्री मद की लंबित देनदारियों का विवरण दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नरेगासॉफ्ट में एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल संचालित किया जाता है , जो मस्टर रोल की स्थिति , भुगतान, लंबित वितरण तथा मज़दूरी में देरी से संबंधित क्षतिपूर्ति की निगरानी करता है (nrega.dord.gov.in)। मंत्रालय मज़दूरी संवितरण में तेजी लाने, अनिवार्य टी+15 या टी+8 समय-सीमाओं के भीतर लंबित मामलों की निगरानी करने तथा मज़दूरी भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी वास्तविक समय में सुनिश्चित करने के लिए निरंतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अनुबंध

दिनांक 09.12.2025 **को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या** 1508 **के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

दिनांक 03.12.2025 **की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मज़दूरी तथा सामग्री मद की लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (राशि करोड़ रुपये में)**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री
1	आंध्र प्रदेश	399.97	556.32
2	अरुणाचल प्रदेश	12.80	143.69
3	असम	0.33	404.27
4	बिहार	9.75	396.77
5	छत्तीसगढ	3.28	103.62
6	गोवा	0.00	0.43
7	गुजरात	59.88	21.33
8	हरियाणा	0.32	42.67
9	हिमाचल प्रदेश	1.49	68.17
10	जम्मू और कश्मीर	6.10	192.00
11	झारखंड	7.58	298.71
12	कर्नाटक	6.30	575.98
13	केरल	329.42	186.80
14	लद्दाख	0.64	2.47
15	मध्य प्रदेश	123.48	643.14
16	महाराष्ट्र	10.78	684.30
17	मणिपुर	1.76	154.19
18	मेघालय	4.93	58.72
19	मिजोरम	13.48	0.25
20	नागालैंड	12.74	87.82
21	ओडिशा	9.41	227.12
22	पंजाब	1.71	113.32
23	राजस्थान	4.45	827.74
24	सिक्किम	0.10	2.43
25	तमिलनाडु	225.71	622.85
26	तेलंगाना	0.99	500.08

27	त्रिपुरा	1.35	144.40
28	उत्तर प्रदेश	17.50	1042.84
29	उत्तराखंड	1.51	51.17
30	पश्चिम बंगाल	**	**
31	अंडमान और निकोबार	0.00	0.03
32	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	1.29	0.02
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	16.99	0.00
कुल		1286.04	8153.65*

नोट: डेटा पीएफएमएस/एमआईएस तथा सामग्री मद से संबंधित पिछले वर्ष की लंबित देनदारी के अनुसार है।

** पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के श्रम बजट में वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया , क्योंकि राज्य द्वारा विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप , केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के निरंतर गैर-अनुपालन के कारण , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए , 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निधियों को जारी किया जाना भी रोक दिया गया।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य की लंबित देनदारी (दिनांक 08.03.2022 तक) कुल ₹3082.52 करोड़ है , जिसमें मज़दूरी मद के अंतर्गत ₹1457.22 करोड़, सामग्री मद के अंतर्गत: ₹1607.68 करोड़, प्रशासनिक मद के अंतर्गत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। यह देनदारी केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के पश्चात ही स्वीकार्य मानी जाएगी।

*****